प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –347 / 2023

अनवान : –

1. सुरेश पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सीताराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र महावीर पचार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. श्रवण कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. दुर्गा पुत्री महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री विनोद पुनिया अधिवक्ता **वादी**
श्री उम्मेद मोठसरा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 19/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 92 / 90 के मु0न0 55 के किला न0 6 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 70 के किला न0 4 / 1, 4 / 2, 5 / 1, 5 / 2, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0न0 56 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 69 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 9.614 हैक्ट नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी महावीर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम से शासित होते है। उपरोक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 का जन्म से हक एवं अधिकार है।

वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी स0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 की कब्जा काश्त चली आ रही है। वाद भूमि जो की महावीर के नाम दर्ज है उसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 5 व 6 का वादभूमि में कोई हक हिस्सा नही है। वादी इसी अनुसार आज्ञप्ति से घोषणा करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया की की रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 92/90 के मु0न0 55 के किला न0 6 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 70 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0न0 56 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 69 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 9.614 हैक्ट नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी महावीर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में वादी सुरेश, प्रतिवादी महावीर, सीताराम, दलिप व श्रवण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज की जाती है तो हम वादी एवं प्रतिवादीगण सहमत है। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनाम तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किया जावें। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये। वकील वादी ने प्रतिवादी स0 7 को तर्क अंकित किया।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा आपसी राजीनामा मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 92/90 के मु0न0 55 के किला न0 6 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 70 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0न0 56 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 69 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 9.614 हैक्ट नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी महावीर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादीगण के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि अनुसार रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 92/90 के मु0न0 55 के किला न0 6 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 70 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0न0 56 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 69 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 9.614 हैक्ट नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी महावीर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –347 / 2023

अनवान : –

1. सुरेश पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सीताराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र महावीर पचार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. श्रवण कुमार पुत्र महावीर पचार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. दुर्गा पुत्री महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री महावीर जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 347 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 92/90 के मु0न0 55 के किला न0 6 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 70 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0न0 56 के किला न0 19 ता 23 मु0न0 69 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 9.614 हैक्ट नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी महावीर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:21:17 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–रामगढ़